!! आदेश!!

वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–17/2020/XXVII(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 12 जनवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या 27/2018/XXVII(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 12 जनवरी, 2018 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में भूमि/सम्पत्ति की प्रस्तावित सर्किल दरों को स्थानीय/विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित दरों के अनुरूप संशोधित **दिनांक 13.01.2020** से नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) को निम्नवत् निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रख्यापित/नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

कृषि/अकृषित भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश :–

(1) यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गई है, किन्तु यदि–

(क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा या

(ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(2) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

(3) शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ीयां (ESCALATOR) का प्रयोग हुआ हो, को छोड कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमश :–10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आंगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(4) ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

(5) एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तरण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20

Scanned with CamScanner

प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी अविभाजित इकाई से सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(6) 1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

(7) उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नही होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015 में निर्धारित मानको के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

(9) मूल्यांकन सूचि में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची बिन्दु संख्या–8 में निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार संलग्न सर्किल दर सूची के अनुसार अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेख पत्रों के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

(10) कृषि या अकृषि भूखण्डो पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डो की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौडाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।

(11) किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौडाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(12) बहुमंजिली अवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, बहुमंजिली आवासीय परिसर /बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौडाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(13) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थित में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृर्ता प्राधिकारी /संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसैन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसैन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारो के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट, 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू)

Scanned with CamScanner

(15) भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखत कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

(16) वाणिज्यिक /अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नही होगा।

(17) भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नही होगा।

(18) भूमि/सम्पत्ति में बाउण्ड्री बॉल के स्थित होने पर बाउण्ड्री वॉल प्रति रनिंग मीटर की दर से जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(19) भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(20) टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षो का देय होगा।

(21) किसी भी औद्यौगिक ईकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टरपोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायगा।

(22) किसी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त ईकाई में स्थापित मशीनरी का मूलांकन गवर्नमेन्ट एप्रूब्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(23) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित पर प्रभावी होगी।

(24) मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो विलेख के द्वारा अन्तरिम भूमि/सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(25) मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहॉ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015 में यथा परिभाषित है।

(26) किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

(27) मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:–

(i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के, मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्रों यथा नगरीय/अर्द्ध नगरीय/ग्रामीण आदि में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि /सम्पत्ति के कृषि/ अकृषि/ आवसीय /अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) विलेख मे वर्णित भूमि /सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1– दुकान 2– रेस्टोरेन्ट 3– .कार्यालय तथा अन्य वे सभी
स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के

Scanned with CamScanner

द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहदी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहदी में वर्णित सड़क–सड़को /मार्ग/मार्गो की चौडाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) पक्षकरों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है, में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।

अतएव उपरोक्त दिशा–निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद चमोली में स्थित सभी प्रकार की भूमि जिसमें कृषित व अकृषित तथा शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण भूमि सम्मिलित की परगनावार/किस्मवार अध्यावधिक की जाती है, जो शासनादेशानुसार दिनांक 13 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

संलग्न – उक्तानुसार।

(स्वाति एस0भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या : 2769/पॉच – ~~एमबी~~ 03 (2019 – 2021) दिनॉकः गोपेश्वर : 13 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल पौडी।
3. आयुक्त एंव सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिला निबन्धक, चमोली।
6. जिला वित्त एवं स्टाम्प अधिकारी, चमोली।
7. समस्त कार्यालध्यक्ष, जनपद चमोली।
8. उप जिलाधिकारी, चमोली/जोशीमठ/कर्णप्रयाग/थराली/पोखरी/गैरसैंण।
9. तहसीलदार,चमोली/जोशीमठ/कर्णप्रयाग/थराली/पोखरी/गैरसैंण/घाट/आदिबद्री/जिलासू/नारायणबगड/नन्दप्रयाग/देवाल।
10. उप निवन्धक, जोशीमठ/चमोली/कर्णप्रयाग/थराली।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्किल दरों को NIC की साइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
चमोली

Scanned with CamScanner

तहसील–चमोली, नगरीय क्षेत्र /नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद चमोली

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू0 प्रति है0 मे)			अकृषि भूमि की दर (रू0 प्रति वर्ग मीटर)					गैर–वाणिज्यिक भवन की दर(रू0 वर्गमीटर)	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	दुकान /रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	क्षेत्रपाल, भूमला लगा खैनुरी, छिनका, बिरही	122	.113	104	1400	1300	1200	20300	20000	17600	17800
2	कोठियालगाव, ग्वीलों, चमनाऊ,	143	131	115	1600	1500	1300	22400	21100	22600	15000
3	कोठियालसैंण, रामपुर चक पाडुली,	159	147	130	1800	1600	1300	24000	22700	20499	14974
4	गोपेश्वर, पपडियाणा, पाडुली	243	225	200	2700	2500	2200	26700	25400	21400	15900
5	नन्दप्रयाग, पुरसाडी	130	120	111	1100	1000	950	20600	19300	18400	13300
6	नौरख(पीपलकोटी), अगथला,	141	132	120	1600	1500	1300	20700	19600	17700	12900
7	मगोलगाद, सगर चन्द्राकोटी, ग्वाड़, देवलधार, बैरागना, सिरोली, कुनखुली, मण्डल, खल्ला	86	80	74	1000	900	850	19600	18400	17700	12800
8	मायापुर, गडोरा, बाटुला, भेड़ लगा गडोरा,	107	97	74	1125	1100	1000	25100	24600	23900	17300
	ग्रामीण क्षेत्र										
1	देवर खडोरा, कुजो मैकोट, घिघरांण, रौलीग्वाड, हाट, दुसात गांव, दशवाण,	83	72	60	900	850	750	20300	19100	18500	13400
2	मैठाणा, बांजबगड, रोपा--चलथर (कुहेड), गोलिम(बाजपुर),	90	83	63	1000	900	850	22200	20600	20200	14600
3	रौकोट, सोनला, बछेर ,तैन्दुली, जैसाल,बौला, पिलंग चटोली, तिलॅफाडा, मठ लगा पिलंग	57	50	43	600	550	500	19600	18400	18000	13200
4	निजमूला, व्यारा चक सैंजी, अनागोली लगा, रांगतोली दुसात गॉव, सिणजी लगा सिरों, हाट, जैसाल, दशवाण, बौला, तेन्दुली चक हाट, गांडी,	55	47	41	600	550	450	18500	17400	17500	12500
5	गैर, कठूर,मठ, मलाना, झिनका, पिलंग,गाडी	54	47	41	600	550	500	18400	17200	17200	12400
4	दोगडी काण्डई, बमियाला, सिरों, स्यान चक कुडाव, कुडाव, नैल, मलाना लगा नैल, खैनुरी, भीड लगा गडोरा, दिगोली, मेहर गॉव, ल्वॉह, रांगतोली, लासी, बौली, घुडसाल, क्वीरालू, हरमनी, लस्यारी मजोठी, नवा लगा मजोठी, सेम डुग्रा, बैण्डू, कण्डेरी, चेपडों लगा मासों, कफलखेत, आमखेत, अनुसया, खल्ला, कोटेश्वर, भदाकोटी, नगर टंगसा, वणधार,मैकोट लगा कुडाउ, कौंज कोतनी	39	34	30	500	400	350	17200	16200	16400	11700

Scanned with CamScanner

5	...रू भर्की, गुनियाला, मठझड़ेता, डुंग्री, कुडाव, सल्ला रैतोली, चातोली, किरूली, सैंजी, गौणा, कफलखेत, देवर, दादड़, आमखेत, टेडाखनसाल, किलौण्डी (सितौल)	38	34	30	450	400	350	16900	15800	16100	11500
6	ग्वाड लगा बेमरू, मजू लगा बेमरू, कम्यार, दुर्मी, पगना, रोपा, पलेठी, मैंड लगा पलेठी, मथरपाल, भौंती, बैडुला, धारकोट, हुणंग लगा सैंजी, भतंग्याला, पत्थर पाल, भैंती बेडुला, गुहाई, सकुण्ड,	31	29	25	400	350	300	17300	15900	16300	11600
7	खिंकन, धनोली, कैलुडी चक ग्वाड़, स्यूण, मकरोली, ग्वाड़ लगा बेमरू, काणा, संजी लगा मैकोट, सोनियाणी, तारतोली, गौणा चक धारकुमाला, दुर्मी, पाणा, ईराणी, नैथोली, सैना चक संतोली, बराली, मतुराई, सैंना लगा सरतोली, जेंथा, रूद्रनाथ, चापड़, उडियाडी, धारकोट, पांगरवासा।	31	28	24	400	300	250	17000	15600	16000	11500

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

तहसील घाट अर्द्धनगरीय क्षेत्र जनपद चमोली

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू0 प्रति है0 मे)			अकृषि भूमि की दर (रू0 प्रति वर्ग मीटर)					गैर–वाणिज्यिक भवन की दर(रू0 वर्गमीटर)	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	दुकान /रेस्टोरेन्ट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी(श्रेणी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	धरगांव लगा उस्तोली, धौला चक उस्तोली, कुन्तरी लगा फाली, नागबगड ऊर्फ फरखेत, जाखणी, विजार, सेरा	102	96	87	1100	1000	950	21400	20200	19200	14000
2	कुमारतोली लगा कुमजुग, फाली, सैंती।	90	84	87	1000	900	850	20400	19200	18500	13400
					ग्रामीण क्षेत्र						
3	सैतोली, कुरूड गूँठ, वादुक, गुलाडी, कुरूड रौली पार, सितेल, सुतोल, गेरी, पेरी, चमतोली चक बांसवाडा, भैंसवाडा चक उस्तोली, कुन्तरी लगा सरपाणी	59	41	40	700	600	500	19400	18550	18400	13700
4	भैंसवाडा, चक, धुरमा, गण्डासू, बनाला, नारंगी, उस्तोली, कुन्तरी लगा सरपानी, बांसवाडा, बांजबगड,	57	48	39	600	550	500	20300	19100	19200	13800
5	भेंटी, सैंती गूठ, सरपाणी, लॉखी, धुर्मा, कुन्तरी लग्गा सरपाणी, बासवाणा, उस्तोली, भटियाणा लग्गा लॉखी. बांजबगड, लुणतरा, माणखी, खुनाणा, हुडा लगा रामणी सुंग ल्वाणी, चरबन, कुंज, चरी, चोपडाकोट, काण्डा मल्ला,सुतोल, गैरी, पैरी, काण्डई	54	46	38	600	550	500	19400	18200	17750	13200
6	नौना, मोठा, चाका, सैमा, बैरों बूरा, तांगला, मटई, क्वीराली, काण्डई, पगना, रामणी, घूनी, सूंग, ल्वाणी, कुण्डी, चरबंग रणीहाट, हुणा लगा लामडी	50	41	36	600	500	450	19300	18100	18200	14100
7	सिमली मंगरी, पाणी गैर, भेरणी, मोख, मल्ला, मोख तल्ला, जोखना, पुणकिला,,सिमार चक राजबगठी, खल्तारा, सिरोसार,धरगांव	35	31	27	400	350	300	17500	16400	16300	12100
8	पडेरगांव, आलाचक, सुनीति, खलतरा, तोलना,लाखी, व्हींण, धरवाली, राजबगठी, मेहड बगठी, पाणीगैर, धेरणी, मोख तल्ला	35	30	27	400	350	300	17200	16100	16500	11800
9	पठोली चक भेटी, बाली ग्वाड, सीक चक गेरी, लोलडी चक तातड लगा सुतोल, भेंसवाडा चक, हूण लग्गा काण्डई, मोलिंग चक	32	28	25	400	350	300	17400	16300	16200	12000
10	प्राणमती, कनोल, सीक, मोलिंग चक अन्दर, चौमासी चक, रिखतोली, मोलिंग चक धुर्मा, स्यारी, बंगाली, पिलखोला, हयीण आदि।	31	27	24	400	300	250	17100	16000	16500	11800

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

तहसील जिलासू जनपद चमोली

क्र0 स0	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू0 प्रति है0 मे) (प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	अकृषि भूमि की दर (रू0 प्रति वर्ग मीटर) (प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	दुकान /रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर–वाणिज्यिक भवन की दर(रू0 वर्गमीटर) प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (श्रेणी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सेमी–ग्वाड(देवतोली)सेमी–ग्वाड(ग्वाड)	129	118	109	1450	1300	1200	23700	22300	20800	15200
2	जिलासू	76	70	62	900	800	700	20500	19200	18800	13600
3	कर्णप्रयाग– पोखरी मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मैठाणा लगा सेमी।	55	52	47	700	600	500	18600	17500	17300	12500
4	पनाई, सिवांई, सलूड, लंगासी,	38	34	26	450	400	395	18050	16900	17300	12500
5	कर्णप्रयाग सिवाई– उत्तारौ मोटर मार्ग पर स्थित शरणामूल, ऐरास, झिलोटी, गिरसा, मस्टगाव, उत्तरों 2 पोखरी–बीणा–आली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सैडुग्रा, काण्डई	35	31	24	400	370	360	16550	15500	15850	11450
6	बमोथ, रानो,	33	29	23	400	350	340	15500	14500	14450	10700
7	सरमोला– बमोथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम करछूना मल्ला, करछूना तल्ला, सूगी, छनदोली, डगधार लगा रानौ, बाजी लगा रानौ, रौठला लगा रानौ,	33	29	23	400	350	340	15500	14500	14450	10700
8	कोलडा, खैडी लगा रानौ रिखवाडी, क्वीठी, तोली लगा गेलुंग, गुलुग क्वींठी, काण्डा लगा क्वींठी,	23	22	20	300	250	240	14850	14000	13700	10050

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

तहसील पोखरी जनपद चमोली

क्र० स०	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू0 प्रति है0 में)			अकृषि भूमि की दर (रू0 प्रति वर्ग मीटर)					गैर–वाणिज्यिक भवन की दर(रू0 वर्गमीटर)	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201 से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक)	दुकान /रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी(श्रेणी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	देवस्थान, चमेठी उर्फ पोखरी।	113	104	86	1300	1200	1000	24300	22900	21800	15800
2	विशाल, मयाणी, गुनियाला।	104	97	76	1200	1100	900	24000	21700	20800	15100
3	वल्ली, देवर वल्ला, देवर पल्ला	100	92	49	1100	1000	900	22800	21400	20600	15000
	ग्रामीण क्षेत्र										
4	कर्णप्रयाग–पोखरी–रूद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम बामणखाल, सरमोला, कुंजलगा खसखाल, खसखाल, बिनगढ, खन्नी, नौठा, थालाबैड, ब्राहमणथाला, फोगठा।	56	53	48	600	550	500	18800	17600	17500	12600
5	पोखरी हापला–देवखाल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम भिकानो, बगंथल, किमोठा, रडुवा, जौरासी, सलना, महड, डुंगर, काण्डई, जखमाला, सैम, खरकरी, त्रिशुला, संगूड, भदोडा, ऐथा लगा जौरासी बज्वाड, पीठालोली।	42	36	33	500	450	350	18500	17300	17500	12600
6	सरमोला बमोथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम गडूना, कुमेडा, खुनागाड 2. उडामाण्डा– सिमलासू–रौता मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला, सिनाऊ पल्ला सिमखोली, इज्जर, काण्डई खोला, तमुण्डी चोपडा, गनियाला, हरिशकर, चौण्डी, सिमलासू, रौता, सांकनी, उदयपुर, खाल्यो लगा सिनाय, किमखोली 3. पोखरी– पैणी–कुजासू मोटर मार्ग पर स्थित पाम पैणी, कुंजासू	30	27	22	331	328	324	15639	14977	14641	10712
7	1. पोखरी–विशालखाल– बामनाथ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम पाब, खालबजेठा, काण्डई बजेठा, नैल खलवाडी, पाडुली लगा गुनियाला, आलीशाल 2. पोखरी बीणा आली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम गुगली, शरणाचाई, बीणा मल्ला, सतूड, सौडमंगरा, नागधार, आली,,म्योली लगा गुगली 3. हापला–कलसीर मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम मसोली, गुडम, नौली, कलसीर, श्रीगढ, पाटी, जखमाला, कुजणी, भुलकण।	23	22	21	300	250	200	14900	14400	13900	11000
8	राजस्व ग्राम– खन्ना, चमसील, ताली कसारी, खडकी, कैलब, सटियाणा, लोस्तूपांथरी, तौणजी, पार्वतीपुर, पंगरौली, पतरौली, बैरासू, बीणा तल्ला, कोडी, कफलपाणी, भटव उर्फ, भरतपुर, नैल कुजणी, भुलकण, मज्याणी, दूकासेरा, दूकासौड, सेरा , कोठगीड, पैडुला लगा मज्याणी, मिमणगाव, मालकोटी, विरसाण सेरा, बैड्थ, ढामक, गोदीगिवाला	23	22	20	300	250	200	14700	13800	14200	10200

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

तहसील जोशीमठ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रमांक	क्षेत्र का नाम	कृषि भूमि की दर (लाख रू0 प्रति है0 में)			अकृषि भूमि की दर (लाख रू0 प्रति वर्ग मी0)			वाणिज्यिक भवन की दर (रू0 प्रति वर्ग मी0)		गैर–वाणिज्यिक भवन की दर (रू0 प्रति वर्ग मी0)	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत)	(प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मी0 दूरी के अन्तर्गत)	(प्रमुख मार्ग से 351 मीटर दूरी से अधिक)	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मीटर दूरी के अन्तर्गत)	(प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मीटर दूरी के अन्तर्गत)	(प्रमुख मार्ग से 351 मीटर दूरी से अधिक)	दुकान/रेस्टोरेंट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (श्रेणी पक्का/कच्चा)
1	श्री बद्रीनाथ, बामणी	540	481	444	6500	5800	5400	40200	38400	27300	21100
2	जोशीमठ,	250	222	205	2700	2600	2200	28800	27300	23200	20600
3	औली लगा जोशीमठ, जोशीमठ लगा सलूड	212	188	174	2600	2300	2100	28300	26700	23100	17100
4	हनुमान	168	142	132	1800	1600	1500	26100	24600	22500	15700
5	परसारी	102	87	80	1100	1000	900	22600	21300	20500	14800
6	पाण्डुकेश्वर	119	112	101	1300	1200	1100	24300	22800	15600	15700
7	माणा	119	112	101	1300	1200	1100	24200	22800	21600	15700
8	तपोवन, ढाक, वृष्णीखोला, बिलागढ़, चमतोली, लाता, गहर रिंगी, जुवाग्वाड़, भग्यूल, जुगजुग चक लाता, रैणी चक लाता, रैणी चक सुभाई	84	75	66	1000	900	800	23100	21700	21300	15300
9	पारकी, मारवाड़ी चक पारकी, टगणी मल्ली, टगणी तल्ली, नीती ग्वाड़, लगसी, गुलाबकोटी, हेलंग, पैनी, सेलग,	56	49	41	700	600	500	22200	20900	21000	15400
10	अरूड़ी पट्टी, औंध हनुमान चट्टी, बेनाकुली, खीरौं, पुलना, भ्यूडार,	55	49	40	700	600	500	22100	20700	20800	15000
11	मेरग, बड़ागांव, सोलमा, जुम्मा, जेलम, कोषा, मलारी, कैलाशपुर, गुरकुटी, रेवल चक कुरकुटी, फरकिया गाव, बाम्पा गमशाली, जलग्वाड़	48	44	40	600	500	400	21500	20700	21100	15100
12	तोली लगा चाई, थैंग, सुभाई, सलना, ल्यासी, थैणा, चाई, उर्गम, देवग्राम, डुम्रा, सलूड, डुंग्री, बरोसी।	44	37	34	500	400	300	21800	20400	20900	14900
13	करछी गाव, रेगड़ी, करछी, पगरासू, डुमक, कलगोठ, उच्छौग्वाड़, पल्ला, जखोला, किमाणा, द्रोणागिरी, कागा लगा द्रोणागिरी, गणाई, मोल्टा, पगना, भर्की चक उर्गम, भेटा चक उर्गम,	29	24	22	500	400	300	19400	18200	18800	13400
14	मरपक, मेकस्यात, लगातोली, कुरईपाणी, पैग चक लाता, तुगासी, फागती, बदलगेठा, भगगाव, मोरनाचक लाता, लौंग सेगड़ी, इनाक्षा ऐरा, खंचा तल्ला, खंचा मल्ला, पद्माधोरगी, गौरव लगा सेलंग, तिरोसी, दाडमी, ढीगी, तपोण, लांजी, पोखनी उर्फ पोखरी, सुगी	27	23	21	400	300	300	19100	17800	18400	13200

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

सर्किल रेट तहसील नारायणबगड़, जिला चमोली

कम संख्या	क्षेत्र का नाम	कृषि भूमि की दर (लाख रूपये प्रति है0 में) प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मी0 की दूरी	प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मी0 की दूरी	अन्य 351 मी की दूरी से अधिक	अकृषि भूमि की दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति है0 में) प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मी0 की दूरी	प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मी0 की दूरी	अन्य 351 मी की दूरी से अधिक	वाणिज्यिक भवन की की दर (रू0 पति वर्ग मीटर) दुकान/रैस्टोरेण्ट/कार्यालय	अन्य वाणिजिक प्रतिस्ठान	गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू0 पति वर्ग मीटर) प्रथम श्रेणी	द्वित्तीय श्रेणी
1	2	4	3	5	7	6	8	9	10	11	12
	नगरीय क्षेत्र										
1	केवर तला, कठालीगाड़, नारायणबगड़, पंती	77	71	66	900	800	700	21300	20000	19600	14200
2	हरमनीतल्ली	60	56	52	700	600	550	17500	16500	16300	11800
	ग्रामीण क्षेत्र										
1	कर्णप्रयाग – थराली मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम, नलगांव सिरगुर, मीग, नौठा, बैनोली तल्ली, भिडतोली, बीणागांव, झगोरगांव, भगोती, केवरमल्ला, असेड़, नलगांव कड़ाकोट, परखाल	45	40	34	600	400	450	19500	18300	18500	13300
2	पालछुनी, बेडुला, लेगुना, आली, कौब	43	38	33	500	450	400	18600	17400	17600	12700
3	सिमली, सिलकोटी, रैंस, चौपता, चलियापाणी, डुग्रीकड़ाकोट, रतनी, जुनेर, रैगांव, बनेला, चिरौना लगा बैडुला, काण्डा ग्वाड़	37	33	29	500	400	350	19200	18000	18400	13200
4	मटियाणा, भुलक्वाणी ग्वाड, भंगोटा, सीरी, जाख, बुंगा, किमोली, स्वानतल्ला, घेरबूंगा, सुनसारी, बमणगाव, हरमनीमल्ली, आंगतांली, नन्दगांव, प्रस्तावित दर	34	28	26	400	350	300	19400	18200	18700	13400
5	मौनाग्वाड, तुणियालगा आंगतोली, नाखाली, जाख, कोठा, राजकुण्डी, टोण्डा लगा मजेठा लगा जसपुर लगा जाख, सिलोडी, सैनार, थिरोताग्वाड, पैठाणी, घुलेट लगा टैटुणा, डोल लागा बेडगांव, मानूर, काफोली तल्ली, गण्डीकमल्ला, मौणा, काफालीमल्ली, बमियाला, , देवली लगा छैकुड़ा, सुदा लगा केशुवा, विरमालगांव, जखवालकोट, पाली तल्ली, बुवारकोट, रिठियामल्ला, विनायक, पालीमल्ली, नैणी, मोली लगा कोट, कोट, फारकोट, कोथरा, जाख लगा सैंज, सोल्टा, लोदला, गण्डीकतल्ला, डोमालगा चलियापाणी,महड, तुनेड़ा, गबनी, मेसावाड़ा गैर, ताल्यूँ, घरियाड़ा, कुश, माल, तितरखोली, कसोला, स्यालपुर, स्यूटा, ग्वाड लगा गडकोट, ज्यूड़ा, आगर चिमनी, करचौड़ा, बमणगाव, डागातेली, त्यूला, सेनड़	30	25	23	400	300	250	18300	17100	17600	12600

Scanned with CamScanner

6	[illegible] ईडा, [illegible], गडकोट, कांईबैटी, रैटुंगा, डोल लागा दालचुनी, गडसीरा, दुवेरा, [illegible], कपडापलगाव, [illegible], [illegible], छेकुडा, सुदा लगा झिजौनी, सिलोडी, रिठियातल्ला, [illegible], [illegible], केयल, [illegible] आख, पैना, सुनली, गडसारी, कोटली, चिरखुन, खैतोली, [illegible], [illegible], खेतोली, गडकोट, मैगाव, बरोडा, अगोथ, हसकोटी, मेला, नावली, वालिना, रैतपुरी, ईडा, नागकोटियाणा, छपकी, [illegible], मासलेस, चिडिंगा तल्ला, कुण्डबगड, ग्वाडी, [illegible]	30	24	22	400	300	250	17900	16800	17300	12400

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

सर्किल रेट तहसील थराली जिला चमोली

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	कृषि भूमि की दर (लाख रूपये प्रति है0 में)				अकृषि भूमि की दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति है0 में)		वाणिज्यिक भवन की की दर (रू0 पति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू0 पति वर्ग मीटर)	
		प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मी0 की दूरी	प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मी0 की दूरी	अन्य 351 मी की दूरी से अधिक	प्रमुख मार्ग से 201 से 350 मी0 की दूरी	प्रमुख मार्ग से 0 से 200 मी0 की दूरी	अन्य 351 मी की दूरी से अधिक	दुकान/ रैस्टोरेण्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिस्थान	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
	नगरीय क्षेत्र/नगर पंचायत										
1	धराली, देवराड़, मैटा, सिमलसैंण	73	67	62	800	750	700	20000	18800	18400	13300
2	ग्वालदम स्टेट	84	79	72	1000	900	800	21300	20000	19400	14000
3	पूर्ण, सैनखला, इच्छोली, हाटकल्याणी, तलवाड़ी स्टेट,लाहाजंग, मुन्दोली, बौंक कुलसारी, तलवाडी, फी स्टेट	71	65	60	800	700	650	19500	18300	18000	12900
	ग्रामीण क्षेत्र										
1	थराली– धराली–ग्वालदम एव ग्वालदम नन्दकेशरी व धराली–देवाल– वाण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम कोठी, नन्दकेशरी, उलंग्रा, काण्डई, सरकोट, वाण, साहुगाव लगा जूनीधार, घेपड़ो, सुनला, लमकुण्डी, तुग्रश्वर, थाला, हरलोली लगा थाला लोस्टी बेनोली मल्ली, गडनस्टेट, तलौर, पदमला, चिडिगा स्टेट, सूना, हरचन्द	56	48	40	700	600	500	19800	18600	18500	13400
2	पलोटी, सवाड़ सुनाउ, मेल्डा, भाल, बज्वाड़, कुराड़, दुधी, दरमोला, रूईसाण, कोट लगा देवाल, कस्वीनगर, त्रिकोट, ताजपुर, कुलिंग, देवस्थली–बानुली, त्वाणी, ताजपुर, बमणवेरा, ताजपुर लगा काण्डई, मदुवासिमार लगा उलंग्रा	45	39	34	500	450	400	19200	18000	18200	13000
3	घेस, हिमनी, मलखेत, नलधूरा, सुया, सगवाड़ा, दुगाखेली, केरा, रतगाव गूठ, देवल, ग्वाड लगा सुनाउ, सेरालगा मैटा, चिडिगा खालसा, बुडजोला, मैटातल्ला, मैटामल्ला, लोसरी, बहतरा, पार्था.	37	33	29	500	400	350	19200	18000	18400	13200
4	बेडगानमती, बौंड, कोटेड़ा, सेराविजयपुर, जौला, धारवारम, गैरवारम, काखड़ा, जबरकोट, काकडातोली, रैन, ढालू	31	27	25	400	350	300	18200	17100	17500	12600
5	चैनरह, सोडिंग, देवालग्वाड़, ईड़ा चक सूना, धनगिरा,, असोटी,, सिनई तल्ली, सिनईमल्ली, गुमड, लेटाल, गोपटियारा चक बुगा, नौणा, रेई, नैल, सेमल, , आदरा, रामपुर, टुण्ड्री, करबली, धरामल्ला, गोडा चक पदमला, श्रीगढ़, पैठीलगा उलंग्रा, उणी, धरातल्ला, देवसारी, सोडिगलगा त्रिकोट, फरसौगाड़, लोड़ा, तलवाड़ी खलसा, दिनर, पत्थियानाव, मेलमिण्डा, भृकुटी, पोखरीगाड़, बेसरा,, हरनी चक मुन्द्राली, मैलाचक मुन्दोली, मल्ला, दिदिणा चक वाण, तूना चक रैन, गोपाटा, हरमल, उदयपुर, झलिया, बजई, उपथर, चोटिंग, हरमल चक घटबगड, पैठी,	29	24	22	400	300	250	17800	16600	17200	12300

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner

तहसील कर्णप्रयाग (जनपद चमोली) की सर्किल दर

तहसील कर्णप्रयाग (नगरीय क्षेत्र / नगर पालिका परिषद)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू० प्रति है० में)			अकृषि भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)					गैर-वाणिज्यिक भवन की दर	
		प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 300 तक	अन्य 301 मीटर की दूरी से अधिक	प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 300 तक	अन्य 301 मीटर की दूरी से अधिक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
1	[illegible]	329	305	270	3617	3352	2970	28200	26800	21000	15900
2	[illegible]	61	57	52	700	620	572	17500	16400	16100	11600
3	[illegible]	400	355	315	4200	3950	3500	32400	30800	23950	18200
4	[illegible]	75	69	64	850	800	700	17400	16400	15800	11500

अर्द्ध नगरीय क्षेत्र

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर (लाख रू० प्रति है० में)			अकृषि भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)					गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (रू० वर्गमीटर)	
		प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 300 तक	अन्य 301 मीटर की दूरी से अधिक	प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 300 तक	अन्य 301 मीटर की दूरी से अधिक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
1	[illegible]	86	76	60	950	900	850	21900	20600	20000	14500
2	[illegible]	74	68	53	850	800	750	20800	19600	19200	13850
3	[illegible]	71	65	51	800	750	700	19900	18700	18350	13250

[illegible]	[illegible]	58	55	44	640	610	600	18000	16900	16750	12100
[illegible]	[illegible]	43	39	34	500	450	430	17350	16300	16400	11800
[illegible]	[illegible]	43	39	33	500	450	420	17000	15950	16100	11550
7	[illegible]	34	31	27	450	400	350	16116	15100	15400	11100

Scanned with CamScanner

[illegible]	[illegible]	29	26	23	350	300	280	16850	15750	16200

अपर जिलाधिकारी,
चमोली

जिलाधिकारी,
चमोली

तहसील गैरसैंण (जनपद चमोली) की सर्किल दर

तहसील गैरसैण (नगरीय क्षेत्र/नगर पंचायत)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर(लाख रू0 प्रति है0 में)			अकृषि भूमि की दर(रू0 प्रति वर्ग मीटर)					गैर–वाणिज्यिक भवन की दर	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक	दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
1	गैड, सलियाणा, कोलियाणा, मैहलचोरी	229	213	196	2550	2335	2200	27300	25850	22250	16550
2	ग्वाड, सौनियाणा, खत्रियाणा।	144	133	122	1580	1460	1345	22700	21400	19500	14350
3	गांवली ,धारगैड, पटूडी लगा गैड, कुनेली लगा सलियाणा	133	124	119	1470	1360	1300	23150	21800	20210	14800
4	सिलगी, सैजी, बौसाड।	102	99	96	1127	1100	1047	19123	18000	17000	12700
	ग्रामीण क्षेत्र										
1	मनोड्गवाड, रगचौडा, थाला, परवाडी, सारकोट।	100	97	91	1200	1100	1000	22650	21300	20300	14800
2	आगरा लगा जिनगोड , सनेडा लगा जिनगोड, फरसों, बिसरा खेत पल्ला ,मरोडा।	77	73	69	900	800	756	19850	18650	18100	13200
3.	सारिगगाव, नैल लगा फरकण्डे ,हरगड, जोगेडा लगा हरगड, बीना ,बजियाणी, रोहिडा, गडौथ ,मालकोट, टैटुणा, लादुगैर, धामदेव , बछुवावाण तल्ला ,कोट, लामबगड,कुशरानी तल्ली ,रायकोट, जलचौरा तल्ला, जलचौरा मल्ला,	53	50	49	650	550	545	18150	17000	16950	12300
4.	मूसों, सिमाणतल्ला, सुमेरपुर ,वासी, सेम लगा अक्षवाडा, वासी सेम लगार लखेडी, कुलागाड , डेडयूं लगा पंचाली, डंडियालगांव ,लखेडी पातलचौरा, पंचाली, मांण्डा लगा सिमाण, अक्षवाडा, अन्द्रपा, सिमाण मल्ला ,नौगांव मल्ला, वाडियारी, चौराडा, सारकोट, पातावूंगी, कालीमाटी, कोलांणी सेरा, पालाबगड, डोबिया ताल,तौल्यों, सणकोट, कलचुण्डा, नौगांव तल्ला, नैणी भैसवाडा सैण, निंगाल सैण, रिखोली,गडोली,कुनेली लगा मरोडा, सारीग्वाड, तलगांव, रीठिया, सिंटोली, कुमोली रायवन, जैंतोलीग्वाड, ठांगांलगा, पज्याणा, कमांद लगा गावंली, रवांग्वाड सेरा, कोठार ,नोगड,ठालकाण्डे, मटकोटखाल, फरकण्डे तल्ली,	25	24	22	288	280	270	16300	15300	15750	11300

Scanned with CamScanner

[illegible]	25	24	22	285	270	268	16150	15150	15600	11200

अपर जिलाधिकारी,
अमेठी।

जिलाधिकारी,
अमेठी।

Scanned with CamScanner

तहसील आदिबद्री (जनपद चमोली) की सर्किल दर

तहसील आदिब्रदी(ग्रामीण क्षेत्र)

क्रम स०	क्षेत्र का नाम	कृषि की दर(लाख रू0 प्रति है0 में)			अकृषि भूमि की दर(रू0 प्रति वर्ग मीटर)					गैर–वाणिज्यिक भवन की दर	
		(प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत)	प्रमुख मार्ग 201से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक	(प्रमुख मार्ग से 0 से 200मीटर की दूरी के अन्तर्गत	प्रमुख मार्ग 201से 350 तक	अन्य 351 मीटर की दूरी से अधिक	दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आलीसेरा उर्फ आदिबद्री ,ताल,बौली लगा ताल, जुलगड, खाल उर्फ कुमखोडी	89	78	62	1000	950	900	22850	21450	20900	15200
2.	गलसौं, जैम, रैठामगरी, स्यालकोट, ढमकर, नगली, बूँगा , खेत, बूराखोली।	67	57	48	750	700	650	20700	19400	19200	13950
3.	कण्ड लगा कौंसुवा, कौंसुवा, आलीमज्याडी, पंयया, दरमोली, बडेथ,किरसाल, ऐरोली, मलेठी, माथर, मालई, मटियाला, गिवाड, मौनीडडुवा , खेती लगा किरसाल , कफलोडी, पुनगांव, दुबतोली।	48	44	38	550	500	480	18850	17620	17750	12900
4.	पैन, पिडवाली, विसौण, पंडाव, पज्याणा सुनार, मिरोली, खाल उर्फ कुमखोली,भण्डार सेरा , कैडा, हरगांव, मलगुड,मज्याडी मल्ली ,बेडीमल्ली ,ढुगडासेरा ,थापली ,मालरी, सिमली लग्गा नगली, बेडी तल्ली सिराणा, खेती, सुगढ, रण्डोली , नौना ,दलियाणा, बनौला, कल्याडी मल्ली, कल्याडी तल्ली, जखेट, मलेठी ,रिठोला, बेडूबगड, भटक्वाली, गिरतोली, लगटाई , छिमटा, पूरा, पज्याणा मल्ला, डोल्टू, सिलपाटा।	25	24	22	275	272	270	16300	15250	15750	11350

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with CamScanner